

## मोरगेज टू रेंट स्कीम

मोरगेज टू रेंट स्कीम, आपकी मदद करने के योग्य हो सकती है यदि आप घर के मालिक होने के साथ गिरवी की मुश्किलों का सामना करतें हैं और आपके घर पर कब्जा होने का खतरा है ।

कमिऊनिटीज स्काटलैंड जो इस स्कीम का प्रबन्ध करती हैं, हो सकता है कि वह सोशल लैंड लोर्ड का प्रबन्ध कर सकें (उदाहरण के तौर पर हाऊसिंग एसोसिएशन या स्थानक अधिकार) ताकि आप का घर खरीदा जा सके और आप वहाँ पर किराएदार की हैसियत से रह सकें । जहाँ पर आप मकान मालिक को किराया अदा करेंगे ।

आप सहायता के लिए स्कीम को आवेदन दे सकते हैं यदि आप आप नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब हाँ में दें:

- क्या आप ने अपनी वित्त सम्वन्धी सारे हालात के बारे में सझाह ली है?
- क्या आप का घर कब्जे के खतरे में है?(यह तब है जब आप को आपके खिलाफ कानूनी कारवाई की सूचना मिले, क्या आप को देनदार ने कानूनी कारवाई को हटा लिया है ताकि आप स्कीम के आवेदन को आगे ले जा सकें?
- क्या जायदाद के सारे मालिक मोरगेज टू रेंट के बारे में विचार करने के लिए राजी हो गए हैं?
- क्या कोई ऐसा कारण है, जिस से कि आप का घर स्थानक क्षेत्र में ही रहना चाहिए?
- क्या आप स्थानक तौर पर अपना घर बेचने और सस्ता खरीदने में अस्मर्थ हैं?

आप आमतौर पर स्कीम के अधीन सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे यदि:

- आप की आयु 60 साल से कम है और आप के या आप के साथी के पास होने वाला धन £8,000 से अधिक है (यदि आप की आयु 60 साल से अधिक है तो £12,000)
- आप उस आवास में 12 महीनों से कम समय के लिए रह रहे हैं ।
- आपके मकान की कीमत आपके स्थानक अधिकार के क्षेत्र में औसत मकान की कीमत से अधिक है ।
- आप के मकान को £6,000 की मुरम्त की आवश्यकता है ।

हकदार होने की शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और उन एजन्सीओं की सूचना के बारे में जो यह सलाह दे सकें कि यदि मोरगेज टू रेंट आपकी हालात के अनुसार ठीक है,

हैलपलाईन को इस नंबर पर 0845 279 9999 सम्पर्क करें या ई-मेल करें

[mortgageorent@communitiesscotland.gsi.gov.uk](mailto:mortgageorent@communitiesscotland.gsi.gov.uk)

**HINDI**